

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण

पत्रांक: 02/प्र0अ0-गवन/जोन 1/2014-15 दिनांक: 23/09/2014

अनुमति-पत्र


यह अनुमति 00प्र0 नगर नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 की धारा 14 व 15 के अंतर्गत दी जाती है, किंतु जहाँ यह न लागूना चाहिये कि वह भूमि के स्वामी में जिस पर व्यावसायिक भवन मानचित्र स्वीकृत किया जा रहा है, इससे किसी प्रकार या किसी उद्योगीय निष्पन्न या हस्तक स्थानीय अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के गतिकान अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के भित्तिकात या स्थापित के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगी।

श्रीमती उम्रा गुप्ता पुत्री श्री कौण्डल गुप्ता द्वारा प्लॉट आक नम्बर संख्या-76/62 जयन्तीपुर तुलना सारंग परमाणु व तहसील-सदर, जिला इलाहाबाद के प्लॉट संख्या (1) के अंतर्गत व्यावसायिक भवन मानचित्र के निर्माण की अनुमति हेतु वांछित भवन मानचित्र का स्वीकृति/निर्माण निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:

1. 00प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (1) के प्रावधानों के अनुरूप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् ही उपभोग/संशोधन किया जायेगा भवन निर्माण एवं बेकअप उपवर्ष 2008 में स्थापित संख्या-2.1.0 एवं 3.1.0 में निर्धारित निकाया पूर्ण कर पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
2. यह स्वीकृति अस्थायी (Provisional) स्वीकृति के रूप में होगी। निर्माण पूर्ण होने के उपरान्त, सभी आवश्यक Mandatory Clearances/N.O.C को शर्त पूर्ण करने के पश्चात् निर्मित किये जाने वाले पूर्णता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही इस परिसर के वास्तविक उपयोग में लय जा सकेगा।
3. प्लॉट पर 4X3 फीट का एक बोर्ड लगाकर प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या की विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा जिसमें अधिकारी/इन्जीनियर के नाम का नाम भी अंकित हो।
4. प्लॉट पर 01 वृक्ष लगाने हैं। तथा वृक्षों को इस मरा रहने का सुरक्षित अवधिक 05 होगा।
5. प्लॉट का अधिभोग/उपयोग स्वीकृत प्रस्तावना के अनुसार ही करना होगा।
6. अवस्थापना सुविधाओं के अतिरिक्त में नगर अनुसूक्त/नगर निगम द्वारा मानचित्र की स्वीकृति के प्लॉट में कोई देवाल/प्रतिबन्ध आरोपित किये जाते हैं तो उसका भुगतान/उत्पादन संबंधित पर उपायकारी होगा।
7. मानचित्र चयन में कोई बाधा होने अथवा उत्पन्न होने की स्थिति में प्रदत्त स्वीकृति माननीय नगरपालिका के निर्णय से अर्पित होगी। यह स्वीकृति भू-स्वामित्व के अधिकार प्रदान नहीं करती है। भू-स्वामित्व संबंधी कोई भी विवाद स्वयं व्यापार/प्राधिकारी द्वारा ही निराकरण किया जा सकता है।
8. विभिन्न समूह पर जारी शासनदेश व विधियों का पालन करना होगा तथा प्राधिकरण यदि कोई एजेंडा आरोपित करता है तो उसे पत्रों को जमा करना होगा।
9. यदि आवेदन द्वारा कोई गड़बड़पूर्ण सूचना दिये जायेगी अथवा गलत सूचना दी गयी है तो 00प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 15 (2) के अंतर्गत मानचित्र निरस्त करने योग्य होगा।
10. यह स्वीकृति पत्र केवल पौंच वर्ष की अवधि के लिए है।
11. गड़बड़ निर्माण से यदि प्लांट की सड़क की पट्टी अथवा सड़क या प्लांट के किसी भाग (जो गड़बड़ के अंतर्गत है) पर एक भाग अथवा उसके आकार के कारण बंद गई हो, जो ज्ञानि पहुँचे तो गड़बड़ समीचीन हो जाने पर 15 दिन के भीतर अथवा यदि विकास प्राधिकरण ने एक लिखित सूचना द्वारा और शीघ्र कक्षा तो पहले ही उसे अपने खर्चे से मरम्मत करवाकर पूर्ववत् अवस्था जिससे विकास प्राधिकरण को संतोष हो जाय, में कर देना।
12. गृह निर्माण के समय इसका भी ध्यान रखना होगा कि भारतीय विद्युत अधिनियम 1955 (इंजिनियर इलेक्ट्रिसिटी क्लॉस 1985) नियम 82 का उल्लंघन किसी भी दशा में न होना चाहे। यदि विकास प्राधिकरण की जानकारी में ऐसे मामले पाये गये तो वह ऐसे निर्माण को रोक अथवा उत्पादित करता है।
13. आवेदक को नियमानुसार बेकअप प्राधिकरण को मकान की नींव तक तथा छत तक बना देने एवं उसके पूर्ण हो जाने को सूचना मकान आवेदक होने से सुन देना तथा उस आवेदक का नाम भी देना होगा जिससे नियोजन में मकान निर्मित हुआ है।
14. यदि निर्माण में गड़बड़ प्लान का उल्लंघन होता पाया गये तो निर्माणकर्ता को दो गड़बड़ स्वीकृति एवं समझौते जायेगी और किया गया निर्माण अनधिकृत घोषित कर प्लान अधिनियम की धारा 27 (1) के अंतर्गत कार्यवाही आरम्भ की जायेगी।

हम आगे अनुमति पत्र
 85 918, मानचित्र
 प्राप्त किया
 24/09/14


 प्रकाश श्रीवास्तव
 प्रभाषी अधिकारी (गासन-2)
 इलाहाबाद विकास प्राधिकरण,
 इलाहाबाद।



PROPOSED COVERED AREA SHOWN THUS

RAIN WATER PIPE SHOWN THUS

DETAIL OF BEAM (220x300) Scale - N.T.S.

AREA SCHEDULE IN SQ.MT.	
PARTICULARS	COVERED AREA
1. TOTAL AREA OF PLOT	144.88 Sq.M.
2. LAND LEFT FOR ROAD WIDENING	67.12 Sq.M.
3. NET PLOT AREA	77.88 Sq.M.
4. COVERED ON GROUND FLOOR	29.97 Sq.M.
5. TOTAL COVERED ON FIRST FLOOR	29.97 Sq.M.
6. TOTAL COVERED ON SECOND FLOOR	29.97 Sq.M.
7. TOTAL COVERED OF FLOOR	59.94 Sq.M.
8. OPEN AREA ON GROUND FLOOR	47.88 Sq.M.
9. MUMTY AREA	7.51 Sq.M.
10. PROPOSED GROUND COVERED	38.49 %
11. PERMISSIBLE GROUND COVERED	40.00 %
12. PROPOSED FAR	115.48 %
13. PERMISSIBLE FAR	120.00 %

DOOR WINDOW SCHEDULE			
DOOR	D1	1050x2400	
	D2	1000x2400	
	D3	900x2400	
	D4	750x2400	
WINDOW	W6	1800x1650	
	W4	1200x1350	
VENT	V3	900x450	

PROPOSED COMMERCIAL BUILDING PLAN ON HOUSE NO. 76/52, JAYANTIPUR, SULEM SARAI, PARGANA & TAHSIL - SADAR, DISST. - ALLAHABAD.

OWNER NAME
SMT. UDRA GUPTA D/O SRI K.L. GUPTA

THIS IS TO CERTIFIED THAT THE MAP IS ACCORDING TO BY LAWS (BHAWAN UPVIDHI 2012) AND NORMS OF A.D.A. MAYA YOLANA 2001

SCALE: 1:100
DATE: _____
DRAWN BY: _____

Birendra Kumar
BIRENDRA KUMAR
Engineers, Builders
Interior Building Designer, Planner & Escalator
Registration No. 2212001133
Allahabad Development Authority
141 A, Rajnagar, Allahabad

SIG. OWNER
SIG. ENGR.